न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय),
जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 138/2009 (आरसीएमएस संख्या : 2009/00108)

सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. मंजू केशवानी पत्नी श्री प्रकाश केशवानी, जाति–सिंधी, निवासी–399, गीता भवन के पास, आदर्शनगर, जयपुर।
2. शिखा सिंघल पत्नी श्री कमल सिंघल, जाति–महाजन, निवासी–2, संजय कॉलोनी, नेहरू नगर, जयपुर।
3. नासिरा जुबेरी पत्नी श्री एम0 जेड0 जुबेरी, जाति–मुसलमान, निवासी–अनुकम्पा, एम0 आई0 रोड़, जयपुर।
4. विजया सदाशिवन पत्नी श्री ए0 सदाशिवन, निवासी– 10, मोती नगर, झोटवाडा, जयपुर।
5. पुष्पा मित्तल पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार मित्तल, जाति–महाजन, निवासी–वैशाली नगर, जयपुर।
6. कमलेश कुमारी गुप्ता पत्नी श्री आनन्द प्रकाश गुप्ता, निवासी–ए–18, आदर्श कॉलोनी, जयपुर।
7. रामचन्द्र पुत्र सुखा, जाति–जाट, साकिन–निमेडा।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थितिः–

1. पेरोकार सरकार।
2. श्री मो0 शमीम, अभिभाषक, अप्रार्थीया संख्या 1 व 3 की ओर से वरवक्त बहस अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
3. श्री भगवान सहाय शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थीया संख्या 2, 4 व 5 की ओर से।
4. अप्रार्थी संख्या 6 व 7 बावजूद तामील अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 29.11.2019

तहसीलदार, जयपुर द्वारा निवेदन किया गया है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में ग्राम निमेड़ा की आराजी खसरा नम्बर 332 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गै0मु0 तलाई दर्ज है जिसकी सहायक कलक्टर द्वारा दिनांक 30.03.1964 को सुखा पुत्र भोमा नारायण पुत्र सुखा जाति–जाट, साकिन–निमेड़ा के हक में डिक्री दिये जाने के फलस्वरूप जरिये नामान्तरकरण संख्या–43 खातेदारी दर्ज की गई है तत्पश्चात तकासमा की डिक्री स्वीकार होने के फलस्वरूप आराजी खसरा नम्बर 332/578 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा गैर–मुमकिन

तलाई का नामान्तरकरण रामचन्द्र पुत्र सुखा कौम–जाट के नाम स्वीकार किय गया है। वादग्रस्त आराजी 2 बीघा 15 बिस्वा विभिन्न विक्रयों आदि के परिणाम स्वरूप ज़माबन्दी सम्वत् 2060–2063 में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2015–2034 में दर्ज गैर–मुमकीन तलाई को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकीन तलाई दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान् पेरोकार सरकार का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में ग्राम निमेड़ा की आराजी खसरा नम्बर 332 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गै0मु0 तलाई दर्ज है जिसकी सहायक कलक्टर द्वारा दिनांक 30.03.1964 को सुखा पुत्र भोमा नारायण पुत्र सुखा जाति–जाट, साकिन–निमेड़ा के हक में डिक्री दिये जाने के फलस्वरूप जरिये नामान्तरकरण संख्या–43 खातेदारी दर्ज की गई है तत्पश्चात तकासमा की डिक्री स्वीकार होने के फलस्वरूप आराजी खसरा नम्बर 332/578 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा गैर–मुमकिन तलाई का नामान्तरकरण रामचन्द्र पुत्र सुखा कौम–जाट के नाम स्वीकार किय गया है। वादग्रस्त आराजी 2 बीघा 15 बिस्वा विभिन्न विक्रयों आदि के परिणाम स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2015–2034 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 332 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकीन तलाई की खातेदारी सहायक कलक्टर द्वारा जरिये डिक्री दिनांक 30.03.1964 को सुखा पुत्र भोमा नारायण पुत्र सुखा को दी है। जिसका इन्द्राज नामान्तरकरण सं0–43 के कॉलम सं0–14 पर है। इस आराजी का तकासमा होने के फलस्वरूप इसमें से आराजी खसरा नम्बर 332/578 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा रामचन्द्र पुत्र सुखा के हक में जरिये नामान्तरकरण–107 दर्ज

हुई है। यह आराजी विभिन्न विक्रय पत्रों के द्वारा बेचान होने से क्रेतागण के हक में जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 में दर्ज है। नियमों के विपरीत अवैध रूप से जरिये डिक्री खातेदारी दी जाकर बेचान की गई है। जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 में यह आराजी गैर–मुमकीन तलाई दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी नियमन/आवंटन/हक खातेदारी हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन तलाई की आराजी की निजी खातेदारी हेतु डिक्री दी है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध निर्णय/डिक्री द्वारा हक खातेदारी के राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज और पश्चातवर्ती तकासमा/विक्रयादि के इन्द्राज प्रांरभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में निर्णय/डिक्री के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है क्योंकि गैर–मुमकिन तलाई की निजी खातेदारी जरिये निर्णय/डिक्री दिया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2, 4 एवं 5 के विद्वान् अभिभाषक श्री भगवान सहाय शर्मा का कथन है कि रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र तथ्यों व मौके की स्थिति के विपरीत अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान कर आर्थिक नुकसान पहुंचाने की गरज से प्रस्तुत किया गया है। रेफरेन्स अधीन आराजी राजस्व अभिलेख मे खातेदारी दर्ज होने के परिणाम–स्वरुप अप्रार्थीगण द्वारा सद्भाविक रुप से सरकार द्वारा नियुक्त भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा संधारित राजस्व अभिलेखों के आधार पर क्रय की गई है। क्रेतागण द्वारा वादग्रस्त आराजी को क्रय करते समय ऐसे कोई कारण नही थे जिनके कारण भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा संधारित राजस्व अभिलेखो पर शंका की जाकर अविश्वास किया जाता और पूर्ववर्ती समस्त इन्द्राजातों की यहॉ तक कि भू–प्रबंध की प्रविष्टियों की जांच कर आराजी को क्रय किया जाता। अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी को क्रय किये जाते समय भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा प्रदत्त किये गये इन्द्राजातों की विश्वसनियता के संबंध में कोई शंका जाहिर नही की गई थी और न ही राजस्व रिकार्ड की जांच परख करने के लिए कथन किया गया था। अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी को क्रय करते समय सरकारी दस्तावेज पर सद्भाविक रुप से विश्वास किये जाने का पर्याप्त आधार

था और सद्भाविक कारणों से ही सद्भाविक प्रतिफल देकर वादग्रस्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र क्रय किया गया है जिसका नामान्तरकरण भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया है । वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है और मौके पर कोई तलाई नहीं है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.08.1947 की स्थिति पर विचार किये बिना वादग्रस्त आराजी की किस्म गैर–मुमकिन तलाई मानते हुए रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि पत्रावली पर ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर यह प्रकट हो कि वादग्रस्त आराजी दिनांक 15.08.1947 को गैर–मुमकिन तलाई हो। वर्ष 1947 का आशय सम्वत् 2004 से है प्रार्थी द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है जिनके आधार पर यह प्रकट हो कि सम्वत् 2004 में वादग्रस्त आराजी गैर–मुमकिन तलाई थी। अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस को जारी रखते हुए कथन किया की वादग्रस्त आराजी मिसल हकीयत बन्दोबस्त सम्वत् 1987 व रजिस्टर चकबंदी अनुसार सम्वत् 1994–2003 में बंजड कदीम दर्ज है अर्थात उपलब्ध दस्तावेजात में सन् 1946 तक बंजड कदीम दर्ज है और खसरा गिरदावरी सम्वत् 2008 लगायत 2011 व 2012 लगायत 2015 में भी बंजड कदीम दर्ज है, गत खसरा नम्बर 171 में भी वादग्रस्त आराजी को तलाई नहीं दर्शाया गया है। वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि है और निरन्तर कृषि प्रयोजनार्थ ही उपयोग व उपभोग में ली जाती रही है। वादग्रस्त आराजी ना तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16(11) के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है और न ही माननीय राजस्थान उच्च–न्यायालय द्वारा अब्दुल–रहमान के प्रकरण में दिनांक 02.08.2004 को पारित निर्णय से प्रभावित भूमि की श्रेणी में आती है इसके बावजूद भी वादग्रस्त आराजी का रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जो पूर्णतः अवैद्य होने से निरस्तनीय है। अब्दुल–रहमान प्रकरण में ऐसे कोई दिशा निर्देश पारित नहीं किये गये है कि नियमित रूप से कृषि कार्यों में ली जा रही भूमि के आवंटन को निरस्त कर ऐसी भूमियों को राजकीय भूमि अंकित कर दी जावे। निर्णय दिनांक 02.08.2004 के पेरा संख्या 15 में तथाकथित एक्सपर्ट कमेटी ने केचमेंट एरिया को पूर्व स्थिति में बहाल रखे जाने के संबंध में जो राय व्यक्त की है वह नाला नदी की भूमियों को राजकीय भूमि घोषित करने का सुझाव दिया था यहा यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम प्रभाव में आने के बाद संपूर्ण कृषि भूमि की ऑनरशीप (स्वामित्व) राजस्थान सरकार (राजकीय स्वामित्व) में निहित है ऐसी स्थिति में जब संपूर्ण कृषि भूमियों की ही भूमिधारी राजस्थान राज्य सरकार की है तब कोई दिगर आदेश पारित करने की आवश्यकता नही है। भू–प्रबन्ध

में गलत रूप से गैर–मुमकीन तलाई दर्ज की गई है। कृषि योग्य भूमि होने से ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय व डिक्री जारी कर सद्भाविक काश्तकारों के हक में खातेदारी दी है। नियमानुसार सहायक कलक्टर द्वारा डिक्री खातेदारी दिये जाने पर ही राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये गऐ है और इसके पश्चात् विभिन्न व्यक्तियों को इसका बैचान हुआ है और वर्तमान मे अप्रार्थीगण द्वारा क्रय किये जाने से खातेदारी दर्ज होकर कब्जा काश्त है। मौके पर कोई तलाई नही है। लम्बे अन्तराल के बाद में रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जो निरस्तनीय है। अप्रार्थी संख्या 2, 4 एवं 5 के विद्वान् अभिभाषक श्री भगवान सहाय शर्मा ने अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2018(1) आर.आर.टी 577, 2017(2) आर.आर.टी 844, आर.आर.डी 1973 पेज 271 प्रस्तुत किये और इस्तदुआ की कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

हमनें उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में ग्राम निमेड़ा की आराजी खसरा नम्बर 332 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गै0मु0 तलाई दर्ज है जिसकी सहायक कलक्टर द्वारा दिनांक 30.03.1964 को सुखा पुत्र भोमा नारायण पुत्र सुखा जाति–जाट, साकिन–निमेड़ा के हक में डिक्री दिये जाने के फलस्वरूप जरिये नामान्तरकरण संख्या–43 खातेदारी दर्ज की गई है तत्पश्चात तकासमा की डिक्री स्वीकार होने के फलस्वरूप आराजी खसरा नम्बर 332/578 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा गैर–मुमकिन तलाई का नामान्तरकरण रामचन्द्र पुत्र सुखा कौम–जाट के नाम स्वीकार किया गया है। वादग्रस्त आराजी 2 बीघा 15 बिस्वा विभिन्न विक्रयों आदि के परिणाम स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2015–2034 में दर्ज गैर–मुमकीन तलाई आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है, वरवक्त बहस अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक श्री भगवान सहाय शर्मा ने वादग्रस्त आराजी को नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2008 लगायत 2011 व 2012 लगायत 2015 में बंजड कदीम दर्ज होना जाहिर किया है परन्तु इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि खसरा गिरदावरी में अंकित भूमि की किस्म को अकाट्य प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता,

जबकि वर्ष 1947 के संबंध में जमाबन्दी जैसा आधारभूत दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है परन्तु इसके बाद हुए भू–प्रबन्ध का दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2015–2034 के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें स्पष्ट रूप से वादग्रस्त आराजी सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन तलाई अंकित की हुई है और प्रकरण के निस्तारण हेतु यह दस्तावेज मुख्य आधार स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की शंका नहीं है। विद्वान् पेरोकार सरकार ने विवादग्रस्त आराजी को डिक्री दिनांक 30.03.1964 को राजस्व अभिलेख में गैर–मुमकीन तलाई दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2015–2034 से होती है और इस आराजी की डिक्री सुखा पुत्र श्री भोमा नारायण पुत्र श्री सुखा, जाति–जाट के हक में दिनांक 30.03.1964 को स्वीकार की गई है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण सं0–43 ग्राम–निमेडा से होती है। खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 43 स्वीकार किया गया हैं और वादग्रस्त आराजी को विक्रय किये जाने के फलस्वरूप क्रेता वगैराह के नाम नामान्तरकरण संख्या 526 स्वीकार किया गया है। विवादग्रस्त आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 में निजी खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकीन तलाई की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नही दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन तलाई भूमि की जरिये डिक्री खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वत: ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार गैर–मुमकीन तलाई भूमि का आवंटन/नियमन अथवा जरिये डिक्री खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, जयपुर द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां

प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजातों के विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 332 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गै0मु0 तलाई दर्ज है जिसकी सहायक कलक्टर द्वारा दिनांक 30.03.1964 को सुखा पुत्र भोमा नारायण पुत्र सुखा जाति–जाट, साकिन–निमेड़ा के हक में डिक्री दिये जाने के फलस्वरूप जरिये नामान्तरकरण संख्या–43 खातेदारी दर्ज की गई है तत्पश्चात तकासमा की डिक्री स्वीकार होने के फलस्वरूप आराजी खसरा नम्बर 332/578 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा गैर–मुमकिन तलाई का नामान्तरकरण रामचन्द्र पुत्र सुखा कौम–जाट के नाम स्वीकार किया गया है और विभिन्न विक्रयों आदि के परिणाम–स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 में 2 बीघा 15 बिस्वा गैर–मुमकिन तलाई अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है, को निरस्त करने एवं इस डिक्री के फलस्वरूप डिक्री प्राप्तकर्तागण के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस सिवायचक गैर–मुमकीन तलाई दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकारों को दिनांक 28.01.2020 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 29.11.2019 को सुनाया गया।

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर